BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 18 सितम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्ता पिंकी को आजीवन कारावास व 26,000/- रूपये के अर्थदण्ड व अन्य 03 आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. पिंकी पत्नी उमेश 2. तेजपाल उर्फ तिलकी पुत्र छिद्दा 3. उमेश पुत्र तेजपाल उर्फ तिलकी 4. पंकज पुत्र तेजपाल उर्फ तिलकी निवासीगण मौ0 गायत्री नगर लोधान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में लाठी डन्डो से मारपीट कर उमेश की हत्या करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2021 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 196/21 धारा-147,323,504,302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 06.07.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 18.09.2023 को मा0 न्यायालय एफटीसी-02, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता पिंकी को आजीवन कारावास व 26,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा 1. तेजपाल उर्फ तिलकी 2. उमेश 3. पंकज को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर